

21.04.2025:—पत्रावली आज वादी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थी का मूल वाद पत्र विद्धा हो गया। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। प्रार्थी के फर्द अहकार पर हस्ताक्षर करवाये गए। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा की गई। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.ए. मे जारी स्थगन आदेश दिनांक 26.09.2024 वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।



DRS
सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ